



उत्तर प्रदेश जल निगम

6, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ-226001

पेंशन भोगी द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाला प्रमाण-पत्र

1. जीवित होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने पेंशन भोगी श्री/श्रीमती
जो पेंशन भुगतानादेश संख्यासी.आर.नं.दिनांक.....
का धारक हूँ, जो स्वयं देखा है और वह आज की तारीखमें जीवित है।

पेंशन भोगी के हस्ताक्षर..... आहरण वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर
पैन नं०
पेंशन भोगी का नाम अधिकारी का नाम
पता पद
.....
मो० नम्बर..... मोहर

2. गैर सेवायोजन/पुनर्सेवायोजन प्रमाण-पत्र

(अ) मैं यह घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मेरे द्वारा किसी सरकारी विभाग/सरकारी कार्यालय/सरकारी कम्पनी/निगम/स्वायत्तशासी निकाय अथवा केन्द्र अथवा राज्य सरकार की समिति अथवा संघ शासित क्षेत्र या स्थानीय निधि में किसी पद पर कार्य नहीं किया जा रहा है/किया जा रहा है।

(ब) मैं यह घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि भारतवर्ष या भारत वर्ष के बाहर मेरे द्वारा वाणिज्यिक सेवायोजन नहीं किया जा रहा है/किया जा रहा है।

टिप्पणी: बिन्दी 'ब' पर अंकित वाणिज्यिक सेवायोजन प्रमाण-पत्र सेवानिवृत्ति की तिथि के उपरान्त दो वर्ष की अवधि के लिये देना होगा। मेरे द्वारा यह वचन दिया जाता है कि यदि मेरे द्वारा 01 नवम्बर वर्ष से लेकर अगले 12 माह में किसी भी समय उपरोक्त में से किसी में भी सेवायोजन प्राप्त कर लिया जायेगा तो सेवायोजन प्राप्त करते ही मैं उसे विभाग को सूचित कर दूँगा/दूँगी। विपरीत दशा में सारी जिम्मेदारी मेरी होगी।

पेंशन भोगी के हस्ताक्षर.....

पेंशन भोगी का नाम

3. उम्र/पुनर्विवाह/अविवाहित होने का प्रमाण-पत्र

1. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैं विवाहित नहीं हूँ। मैंने पिछले एक वर्ष के अंदर विवाह नहीं किया है।
अथवा

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने पुनर्विवाह नहीं किया है तथा ऐसा करने पर मैं आहरण वितरण अधिकारी को सूचित करूँगा/करूँगी।

2. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैं नौकरी नहीं करता/करती हूँ तथा मैं 25 वर्ष की उम्र से कम हूँ।
(केवल अवयस्क पेंशन भोगी हेतु)

पेंशन भोगी के हस्ताक्षर.....

अन्य विवरण

1. पेंशन भोगी का सेवानिवृत्ति के समय पदनाम 3. पेंशन भोगी/पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि

2. पेंशन भोगी की सेवानिवृत्ति/मृत्यु की तिथि 4. बैंक का नाम एवं शाखा
खाता सं०.....

नोट :-

1. अवयस्क पेंशन भोगी अपनी आयु से संबंधित प्रमाण-पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।
2. सेवायोजन करने की अनुमति दिये जाने से संबंधित अनुमति पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।

कार्यालय, उत्तर प्रदेश जल निगम, 6, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ-226001
जीवित प्रमाण-पत्र की रसीद

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती

आज दिनांकमें मेरे समक्ष उपस्थित हुए।

आहरण वितरण अधिकारी